

FORM NO. III

2022/235

फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (नियम 26)
बडीसादडी वि. विधीकरण मुकाम

किसम मुकदमा श्री मन्ते नरुडी बनाम मौजा
नं. 128 सन् 165/2022

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इन्डिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|---------------|---|---|
| 16/6/22 | <p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर.एक्ट का बाद जांच पेश हुआ, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एक पक्षीय बहस सूनी गई। तहसीलदार बडीसादडी को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा..... ग्राम.....<u>सुधारुडी</u>.....की आ.न. <u>253, 291, 440, = (ब.न.) 0.12</u> ई. की विभिन्न आराजीयात की पत्थरगढी विपक्षीगणों की मौजुदगी में की जावे।</p> <p>प्रार्थी से कमीश्नरी फिस रुपये <u>1200/-</u> वसूल किये जाकर राजकोष में जमा करावें। पत्रावली में हुकमनामा जारी होकर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p> <p style="text-align: right;"><u>[Signature]</u> उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी</p> | <p style="text-align: center;"><u>5/159</u></p> |

